

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak

An Institute For Civil Services

DAILY

CURRENT **नामा**


4 सितंबर 2024

 9875170111


 SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

कला और संस्कृति

1. कोंयक जनजाति



2. तंजावुर वीणा



3. साओरा राज्य में निवास अधिकार पाने वाला पांचवां विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बन गया

मुखियों में क्यों? ▶

- गजपति जिले के साओरा आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि पर आवास अधिकार मिलने के साथ, ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, जो सबसे अधिक संख्या में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को ऐसे अधिकार प्रदान करता है।



भूगोल

4. नामीबिया

- अवस्थिति:** अफ्रीका का दक्षिण-पश्चिमी तट।
- सीमावर्ती देश:** दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और अंगोला।
- समुद्री सीमा:** अटलांटिक महासागर (पश्चिम)
- भू-आकृतियाँ:** रेगिस्तान, दलदली भूमि, सवाना, पहाड़ और नदी घाटियाँ।
- रेगिस्तान:** नामीब रेगिस्तान अटलांटिक महासागर के तट पर है। सेंद्रल पठार पश्चिम में है, और कालाहारी रेगिस्तान अंदर की ओर है।
- नदियाँ:** कुनेने, ओकावांगो, माशी और ज़ाम्बेजी (उत्तरी सीमा) और ऑरेंज (दक्षिणी सीमा)।
- सबसे ऊँचा पर्वत:** ब्रांडबर्ग/ माउंट ब्रांड (पश्चिमी भाग)।



5. दक्षिण चीन सागर तनाव के बीच प्रधानमंत्री बुनेई में रक्षा संबंधों पर चर्चा करेंगे

मुखियोंमेंक्यों? ▶

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुनेई दारुस्सलाम की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर हैं, जहां उनका ध्यान दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा। यह यात्रा भारत और बुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो इसे दोनों देशों के लिए एक उपलब्धि बनाता है।

बुनेई

- **अवस्थिति:** दक्षिण पूर्व एशिया के देश, बोर्नियो द्वीप के उत्तरी तट पर स्थित है।
- **सीमा:** दक्षिण चीन सागर पर उत्तरी तटरेखा के अलावा, यह मलेशियाई राज्य सरवाक से पूरी तरह घिरा हुआ है।
- **भू-आकृतियाँ:** तटीय मैदान (उत्तर) और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियाँ (दक्षिण)।
- **सबसे ऊँचा स्थान:** पैगन पीक
- **प्रमुख नदियाँ:** बेलाइट, टुटोंग, और बुनेई, पंडारुआन आदि।
- **जलवायु:** मानसून प्रणालियों से प्रभावित भूमध्यरेखीय जलवायु



6. कोको

मुखियोंमेंक्यों? ▶

पारंपरिक कोको उत्पादक क्षेत्र, मुख्य रूप से वर्षावन, जलवायु परिवर्तन के कारण तनाव में हैं, जिससे कम्पनियां कोको उगाने के नए तरीके तलाशने या विकल्प विकसित करने के लिए प्रेरित हो रही हैं। वैज्ञानिक और उद्यमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से परे कोको उगाने के लिए अग्रणी तरीके अपना रहे हैं, जिनमें प्रयोगशाला में उगाए गए कोको और विभिन्न पौधों पर आधारित अवयवों से बने विकल्प शामिल हैं।



7. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक

मुखियोंमेंक्यों? ▶

हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पेश किया। जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं के मद्देनजर लाए गए इस विधेयक में पहले से ही अत्यधिक केंद्रीकृत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के और अधिक केंद्रीकृत होने के सबूत मिलते हैं।

आपदाओं के प्रबंधन और प्रतिक्रिया के मामले में वित्तीय तैयारियों के मुद्दे को संबोधित करने में केंद्र के प्रयासों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

इस बात पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि केंद्र और राज्यों के बीच दोषारोपण न हो, बल्कि आपदाओं के प्रबंधन के लिए सहयोगात्मक तरीके ढूँढे जाएँ तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाया जाए।

विधेयक में पिछली आपदाओं से सीखे गए सबक को शामिल किया जाना चाहिए तथा इसका उद्देश्य तैयारी से लेकर प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति तक संपूर्ण आपदा प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना होना चाहिए।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष को कमजोर बनाता है: ऐसा इसलिए है क्योंकि यह उन उद्देश्यों को हटा देता है जिनके लिए निधि का उपयोग किया जाएगा।

वित्त संबंधी निर्णय लेने में अत्यधिक केंद्रीकरण: विधेयक राज्यों को ऐसी स्थिति में डालता है जहाँ उन्हें केंद्रीय वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है, जो विलंबित या अपर्याप्त हो सकता है।

आपदा की परिभाषा: संशोधन "आपदा" की परिभाषा का विस्तार करने में विफल रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण उभरती घटनाएँ जैसे कि हीटवेव को शामिल नहीं किया गया है।

आपदा की पर्याप्त समावेशी परिभाषा नहीं: इससे समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जलवायु-प्रेरित आपदाओं की प्रकृति ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत पारंपरिक आपदा की अवधारणा से असंगत है।

आगे की राह

चित्तार्थ

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक

प्रावधान

संस्थागत विकास: यह राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कई प्राधिकरणों और समितियों के निर्माण को अनिवार्य बनाता है।

कुछ संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है: राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और एक उच्च स्तरीय समिति, जो आपदाओं के मामले में की जाने वाली कार्रवाई को जटिल बनाती है।

योजनाएँ तैयार करने हेतु प्राधिकरणों को मजबूती: राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज को मजबूत करना।

संस्था की स्थापना: राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

अंतर्राष्ट्रीय मामले

8. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

- **विवरण:** रोम संविधि (1998) द्वारा स्थापित एक स्थायी न्यायिक निकाय, नरसंहार (Genocide), युद्ध अपराधों (War Crimes) और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन (Prosecution) हेतु सुनवाई का अंतिम विकल्प है।
- **स्थापना:** रोम संविधि (जुलाई 1998) द्वारा स्थापित
- **संचालन:** 2003 से
- **मुख्यालय:** हेग, नीदरलैंड
- **वित्तपोषण:** मुख्य रूप से न्यायालय का वित्तपोषण सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। हालाँकि, न्यायालय द्वारा सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निगमों, व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं से भी स्वैच्छिक योगदान प्राप्त किया जाता है।

- **न्यायाधीश:** 18 न्यायाधीश, प्रत्येक अलग-अलग सदस्य देश से, जो 9-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- **अध्यक्षता:** न्यायाधीशों में से चुने गए 3 न्यायाधीश (अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष)
 - अधिकार क्षेत्र
 - यह केवल सदस्य देशों के मुकदमों या मामलों की ही सुनवाई कर सकता है तथा इसमें मामले की सुनवाई की कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं।
 - जब किसी देश की राष्ट्रीय अदालत द्वारा उस मुद्दे या अपराध की सुनवाई या जाँच करने से इनकार कर दिया गया हो।
 - जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा किसी मुद्दे को आई.सी.सी. के पास भेजा गया हो।
 - आईसीसी को केवल 1 जुलाई 2002 को क़ानून के लागू होने के बाद किए गए अपराधों पर ही अधिकार प्राप्त है।
- **संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध:** यह संयुक्त राष्ट्र संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस स्थिति को आईसीसी को संदर्भित कर सकती है, तथा उसे अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकती है।

पहलू	अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)	अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
स्थापना	17 जुलाई 1998 को रोम प्रोटोकॉल द्वारा	1945 में UN चार्टर के तहत
उद्देश्य	नरसंहार (Genocide), युद्ध अपराधों (War Crimes) और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन (Prosecution) हेतु सुनवाई का अंतिम विकल्प	राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर सलाहकार राय प्रदान करना
अधिकारक्षेत्र	व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी	राज्य की जिम्मेदारी
सदस्यता	123 देश	सभी UN सदस्य देश और कुछ गैर-सदस्य देश
मुख्यालय	हेग, नीदरलैंड्स	हेग, नीदरलैंड्स
न्यायाधीश	18 न्यायाधीश, जो राज्यों की पार्टी के अधिवेशन द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं	15 न्यायाधीश, जिन्हें UN महासभा द्वारा 9 वर्षों के लिए चुना जाता है
कार्यावयन	गिरफ्तारी वारंट और सहयोग के अनुरोध जारी कर सकता है; सदस्य राज्यों पर निर्भर रहता है	निर्णय राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं लेकिन कार्यावयन पर निर्भर करते हैं
उदाहरण	सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्व नेताओं के मुकदमे	समुद्री सीमाओं, क्षेत्रीय दावों आदि पर विवाद
प्राथमिक कार्य	अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए आपराधिक मुकदमा और न्याय	कानूनी निपटारा और सलाहकार राय

9. कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन (सीएससी)

मुखियोंमेंक्यों?

कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य देशों ने हाल ही में सीएससी सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए।

विवरण: — एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस शामिल हैं।

उद्देश्य: — सदस्य देशों के लिए साझा चिंता के अंतरराष्ट्रीय खतरों और चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना।

गठन: — इसका गठन वर्ष 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में किया गया था। भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के कारण 2014 के बाद यह ठप हो गया था। 2020 में इसको सीएससी के रूप में पुनः अवतरित किया गया।

सदस्य: — भारत, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका

पर्यवेक्षक राष्ट्र: — सेशेल्स।

पाँच स्तंभ

- सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा
- आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला
- अवैध व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना करना
- साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी की सुरक्षा
- मानवीय सहायता और आपदा राहत

सचिवालय: — कोलंबो

अर्थव्यवस्था

10. विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

मुखियोंमेंक्यों?

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के लिए अपने आर्थिक विकास अनुमान को संशोधित कर 7% कर दिया है, जो जून 2024 में किए गए 6.6% के पिछले अनुमान से अधिक है। यह अद्यतन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है।

पूर्वानुमान

- **विकास पूर्वानुमान:** मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए 7%।
- **विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि:** 9.9% की वृद्धि हुई
- **महिला शहरी बेरोज़गारी:** यह वित्त वर्ष 24-25 की शुरुआत में 8.5% तक गिर गई।
- **शहरी युवा बेरोज़गारी:** यह 17% पर बनी रही।

विश्व बैंक

- **विवरण:** विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता करने के लिए वित्तपोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने हेतु समर्पित एक अंतराष्ट्रीय संगठन।
- **उद्देश्य:** मध्यम और निम्न आय वाले देशों को विकासात्मक सहायता प्रदान करके गरीबी से लड़ना।
- **स्थापना:** 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत
- **मुख्यालय:** वाशिंगटन, डी.सी.

विश्व बैंक समूह

इसमें 5 संस्थाएँ शामिल हैं सामूहिक रूप से, सभी 5 संस्थाओं को "विश्व बैंक समूह" के रूप में जाना जाता है


सरकार के साथ कार्य करता है	निजी क्षेत्र के साथ कार्य करता है	न्यायाधिकरण
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD) मध्य-आय वाले देशों और उधारकर्ताओं को लंबी अवधि के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) विशेष रूप से गरीब देशों को अनुदान और कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है।	बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA) विदेशी निवेशकों को राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है
	विश्व बैंक निवेश प्रभाग (IFC) निजी क्षेत्र के विकास के लिए पूंजी निवेश, सलाहकार सेवाएँ और गारंटी प्रदान करता है	बहुपक्षीय विकास बैंक (ICSID) अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है

IBRD और IDA को संयुक्त रूप से "विश्व बैंक" के रूप में जाना जाता है।

11. डिजिटल बस पहल ने देश के दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं को कैसे सशक्त बनाया है।

सुखियों में क्यों?

डिजिटल बस पहल, जो राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया मिशन और एनआईआईटी फाउंडेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ने ग्रामीण भारत में लगभग 48,700 युवा वयस्कों और बच्चों को सफलतापूर्वक सशक्त बनाया है। हाल की रिपोर्टें डिजिटल और वित्तीय साक्षरता, आईटी कौशल और उद्यमशीलता पर कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करती हैं, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में लड़कियों और युवा महिलाओं के बीच।



विज्ञान और प्रौद्योगिकी

12. ग्रोम-ई 1 मिसाइल

ग्रोम-ई 1 मिसाइल

विवरण:

सोवियत युग की के.एच.-38 मिसाइल से बना एक हथियार जिसे रूस ने विकसित किया है और आधिकारिक तौर पर 2018 में पहली बार अनावरण किया गया।

दोहरी विशेषताएँ:

मिसाइल और हवाई बम दोनों के रूप में कार्य करता है।

अधिकतम सीमा:

120 किमी (75 मील)।

वारहेड:

एक उच्च विस्फोटक मॉड्यूलर वारहेड जो संपर्क डेटोनेटर से सुसज्जित है।

वजन:

594 किलोग्राम (1,310 पाउंड), 315 किलोग्राम (694 पाउंड) वारहेड के साथ।

तैनाती:

मिग-35, एसयू-34, एसयू-35, एसयू-57 जैसे रूसी विमानों और कुछ हेलीकॉप्टरों द्वारा तैनात किया जा सकता है।